भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

<u>फाइल नंबर:20-11011/8/2021-प्रशिक्षण-नौमनि (C. No. 6955)</u> <u>दिनांक: 16.11.23</u>

<u>प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 22/2023</u>

विषय: वर्ष 2021 में (कोविड-19 के दौरान) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश - संबंधी।

1. जबकि, भारत यथा संशोधित "समुद्रकर्मियों हेतु प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक (एसटीसीडबल्यू), 1978" संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन पर हस्ताक्षरकर्ता है इसलिए उक्त कन्वेन्शन की अपेक्षाओं का अनुपालन करना इसकी बाध्यकारिता है।

2. जबकि, निदेशालय ने दिनांक 01.04.2020 को प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 12/2020 जारी किया था जिसमें समुद्र-पूर्व समुद्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेत न्यूनतम पात्रता मानदंड, "कॉमन एन्ट्रेन्स टैस्ट (सीईटी)" को आरंभ किया जाना तथा ऑनलाइन काउन्सलिंग का उल्लेख था।

3. जबकि, उक्त प्रशिक्षण परिपत्र के अनुलग्नक-1 के क्रम संख्या 6 में यह उल्लेख है कि जनरल परपज़ रेटिंग (जीपी रेटिंग) में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, 10वीं स्तर में मात्र कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक, है।

4. जबकि, निदेशालय को कुछ समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि तमिलनाडु राज्य के उन अभ्यर्थी छात्रों को एमटीआई में जनरल परपज़ रेटिंग (जीपी रेटिंग) हेतु प्रवेश दिया जाए जिन्होंने वर्ष 2020-21 (कोविड-19 के दौरान) शैक्षिक वर्ष में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिनके प्रमाणपत्र में परीक्षा परिणाम "उत्तीर्ण" लिखा है।

5. जबकि, कोविड-19 के फैलने की वजह से, कक्षा 10 के 2021 बैच की परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई। तदनुसार, अंकतालिका में अंक नहीं दिए गए और इस अस्वीकरण के साथ सभी विषयों में "उत्तीर्ण" लिख दिया गया कि - "तमिलनाडु सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश (एमएस) नंबर 48 दिनांक 25.02.2021 के अनुसार, जिन छात्रों ने शैक्षिक वर्ष 2020-21 में 10वीं कक्षा में अध्ययन किया है वे उत्तीर्ण घोषित हैं"।

6. जबकि, तमिलनाडु सरकार के उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, नेशनल टैस्टिंग एजेन्सी (एनटीए), जो कि एक स्वायत्तशासी संगठन है और यह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है इसने एक दिनांक 24.12.2022 को

एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें कहा गया कि '' जेईई (मेन)-2023 सत्र 1 के ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान, अभ्यर्थी जब 'उत्तीर्ण होने का वर्ष' 2021 चुनता है और उसका 'स्कूल बोर्ड' तमिलनाडु स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एक्ज़ामिनेशन (सैक.) है तो रिज़ल्ट मोड निष्क्रिय हो जाएगा और अंकों/सीजीपीए से जुड़ी हुई जगह तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के उन अभ्यर्थियों को नहीं दिखेगी जिन्होंने वर्ष 2021 में अपनी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है''।

7. जबकि, भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, चेन्नई ने भी एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 27.04.2023 जारी की है जिसमें कहा गया है कि ''ऐसे जो अभ्यर्थी आईएमयू-सीईटी 2023 हेतु आवेदन कर रहे हैं और इनके 10वीं कक्षा के प्रमाणपत्र में मात्र ''उत्तीर्ण'' लिखा है तो उन्हें अनुदेश दिया जाता है कि वे आईएमयू-सीईटी आवेदन अंग्रेजी में अपने 50 प्रतिशत और कुल अंकों वाली जगह पर अंग्रेजी में अपने 50 प्रतिशत अंक भरें और आवेदन को आगे भरें''।

8. इसलिए अब, नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई ने यह निर्णय लिया है कि समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में जनरल परपज़ रेटिंग (जीपी रेटिंग) पाठ्यक्रम और समुद्रीय खानपान (सीसीएमसी) में अभ्यर्थी उन छात्रों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए जिन्होंने शैक्षिक वर्ष 2020-21 (कोविड-19 के दौरान) में अपनी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके प्रमाणपत्र में परिणाम के तौर पर ''उत्तीर्ण'' लिखा है जो कि तमिलनाडु सरकार के विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 25.02.2021 को जारी किए गए सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 48 के अनुसार है''। इस बात को ध्यान में रखते हुए अंकतालिका पर ''उत्तीर्ण'' परिणाम वाले इन अभ्यर्थियों को जीपी रेटिंग और सीसीएमसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकने हेतु यह निर्णय किया गया है कि यह नौवहन महानिदेशालय में मास्टर और मेटों के मुख्य परीक्षक और इंजीनियरों के मुख्य परीक्षक को यह दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार्य होगा कि प्रशिक्षण परिपत्र 12/2020 दिनांक 01.04.2020 में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया गया है।

9. इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

16/11/2023

(डॉ. पांडुरंग के राउत)
उप नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

सेवा में,

1) सभी एमटीआई
2) सभी एमएमडी

(अस्वीकरण- हिंदी या अंग्रेजी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।)